

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 363]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 अगस्त 2020 — श्रावण 27, शक 1942

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-29/2008/25-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी लिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची-दो के शीर्षक “विभागाध्यक्ष कार्यालय” के अन्तर्गत, सरल क्रमांक (13) के कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
“ऐसा स्टेनोटाइपिस्ट, जो शीघ्रलेखक श्रेणी-3 के पद हेतु विहित अर्हता रखते हों, पदोन्नति हेतु पात्र होंगे.”
2. अनुसूची-दो के शीर्षक “अधीनस्थ कार्यालय” के अन्तर्गत, सरल क्रमांक (3) के कॉलम (4) में, अंक एवं शब्द “50 प्रतिशत” के स्थान पर, अंक एवं शब्द “100 प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाये तथा कॉलम (5) में, अंक एवं शब्द “50 प्रतिशत” का लोप किया जाये.
3. अनुसूची-चार के शीर्षक “क. विभागाध्यक्ष कार्यालय” के अन्तर्गत,-
(एक) सरल क्रमांक 1 के कॉलम (2) में, शब्द तथा चिन्ह “सहायक अधीक्षक/संपरीक्षक” के पश्चात्, शब्द तथा चिन्ह “/कनिष्ठ लेखा अधिकारी” अंतःस्थापित किया जाये;
(दो) सरल क्रमांक 2 के कॉलम (2) में, शब्द तथा चिन्ह “/कनिष्ठ लेखा अधिकारी” का लोप किया जाये.

- (तीन) सरल क्रमांक 3 के कॉलम (2) में, शब्द तथा चिन्ह “लेखापाल (लेखा प्रशिक्षित)” के पश्चात्, शब्द तथा चिन्ह “/सहायक ग्रेड-2 (लेखा प्रशिक्षित)” अंतःस्थापित किया जाये;
- (चार) सरल क्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये; और
- (पांच) सरल क्रमांक 6 के कॉलम (2) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह “सहायक ग्रेड-3” के पश्चात्, शब्द, अंक एवं चिन्ह “/सहायक ग्रेड-3 (लेखा प्रशिक्षित)” तथा कॉलम (3) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह “सहायक ग्रेड-2” के पश्चात्, शब्द, अंक एवं चिन्ह “/सहायक ग्रेड-2 (लेखा प्रशिक्षित)/लेखापाल” अंतःस्थापित किया जाये.
4. अनुसूची-चार के शीर्षक “ख. अधीनस्थ कार्यालय” के अन्तर्गत, कॉलम (2) में, शब्द “कनिष्ठ लेखा अधिकारी” के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह “सहायक ग्रेड-1” तथा कॉलम (4) में, अंक एवं शब्द “05 वर्ष” के स्थान पर, अंक एवं शब्द “10 वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाये.
5. अनुसूची-चार के शीर्षक “ख. अधीनस्थ कार्यालय” के अन्तर्गत, कॉलम (2) में, शब्द तथा चिन्ह “लेखापाल (लेखा प्रशिक्षित)” के पश्चात्, शब्द तथा चिन्ह “/सहायक ग्रेड-2 (लेखा प्रशिक्षित)” अंतःस्थापित किया जाये.
6. अनुसूची-चार के शीर्षक “ग. जिला संवर्ग” के अन्तर्गत, कॉलम (2) में, प्रविष्टि “सहायक ग्रेड-2(लेखा प्रशिक्षित)” तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये.
7. अनुसूची-चार के शीर्षक “ग. जिला संवर्ग” के अन्तर्गत, कॉलम (2) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह “सहायक ग्रेड-3” के पश्चात्, शब्द, अंक एवं चिन्ह “/सहायक ग्रेड-3 (लेखा प्रशिक्षित)” तथा शब्द, अंक एवं चिन्ह “सहायक ग्रेड-2” के पश्चात्, शब्द, अंक तथा चिन्ह “/सहायक ग्रेड-2 (लेखा प्रशिक्षित)” अंतःस्थापित किया जाये.
8. अनुसूची-चार के नीचे, निम्नलिखित टीप जोड़ा जाये, अर्थात् :-
- “टीप :- (1) विभागाध्यक्ष कार्यालय के लेखापाल (लेखा प्रशिक्षित)/सहायक ग्रेड-2 (लेखा प्रशिक्षित) की पदोन्नति, कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर, लेखापाल (लेखा प्रशिक्षित)/सहायक ग्रेड-2 (लेखा प्रशिक्षित) की संयुक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर की जायेगी.
- (2) अधीनस्थ कार्यालय के लेखापाल (लेखा प्रशिक्षित)/सहायक ग्रेड-2 (लेखा प्रशिक्षित) की पदोन्नति, कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर, लेखापाल (लेखा प्रशिक्षित)/सहायक ग्रेड-2 (लेखा प्रशिक्षित) की संयुक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर की जायेगी.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, अपर सचिव.

अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2020

क्रमांक एफ 1-29/2008/25-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14-08-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, अपर सचिव.

Atal Nagar, the 14th August 2020

NOTIFICATION

No. F 1-29/2008/25-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development Department sub-ordinate (Class-III Ministerial) Service Recruitment Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

1. Under Heading "Head of the Department Office" of Schedule-II, for entries in column (7) of serial number (13), the following shall be substituted, namely :-

"Such Steno-typist, who possesses prescribed qualification for the post of Stenographer Grade-III, shall be eligible for promotion."
2. Under Heading "Sub-ordinate Offices" of Schedule-II, in column (4) of serial number (3), for the figure and symbol "50%", the figure and symbol "100%" shall be substituted and in column (5), the figure and symbol "50%" shall be omitted.
3. Under Heading "A-Head of Department Office" of Schedule-IV,-
 - (i) in column (2) of serial number 1, after the words and symbol "Assistant Superintendent/Auditor", the words and symbol "/Junior Accounts Officer" shall be inserted;
 - (ii) in column (2) of serial number 2, the words and symbol "/Junior Accounts Officer" shall be omitted;
 - (iii) in column (2) of serial number 3, after the words and symbol "Accountant (Accounts Trained)", the words and symbol "/Assistant Grade-II (Accounts Trained)" shall be inserted;
 - (iv) serial number 5 and entries relating thereto shall be omitted; and
 - (v) in column (2) of serial number 6, after the words and symbol "Assistant Grade-III", the words and symbol "/Assistant Grade-III (Accounts Trained)" and in column (3), after the words and symbol "Assistant Grade-II", the words and symbol "/Assistant Grade-II (Accounts Trained) /Accountant" shall be inserted.
4. Under Heading "B-Sub-ordinate Offices" of Schedule-IV", in column (2), for the words " Junior Accounts Officer", the words "Assistant Grade-I" and in column (4), for the figure and words "5 years", the figure and words "10 years" shall be substituted.
5. Under Heading "B-Sub-ordinate Offices" of Schedule-IV, in column (2), after the words and symbol " Accountant (Accounts trained)", the words and symbol "/Assistant Grade-II (Accounts trained)" shall be inserted.
6. Under Heading "C-District Cadre" of Schedule-IV, in column (2), the entry " Assistant Grade-II (Accounts trained)" and entries relating thereto shall be omitted.
7. Under Heading "C-District Cadre" of Schedule-IV, in column (2), after the words and symbol "Assistant Grade-III", the words and symbol "/Assistant Grade-III (Accounts trained)" and in column (3), after the words and symbol "Assistant Grade-II", the words and symbol "/Assistant Grade-II (Accounts trained)" shall be inserted.

8. Below Schedule-IV, the following Note shall be added, namely :-

- “Note :- (1) Promotion of Accountant (Accounts Trained)/Assistant Grade-II (Accounts Trained) of the Head of Department will be done on the basis of Joint Seniority List of Accountant (Accounts Trained)/Assistant Grade-II (Accounts Trained) on the post of Junior Accounts Officer.
- (2) Promotion of Accountant (Accounts Trained)/Assistant Grade-II (Accounts Trained) of the sub-ordinate office will be done on the basis of Joint Seniority List of Accountant (Accounts Trained)/Assistant Grade-II (Accounts Trained) on post of Junior Accounts Officer.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Upper Secretary.